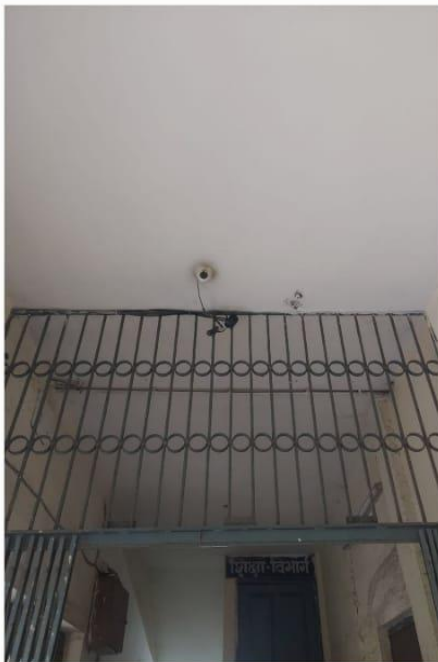
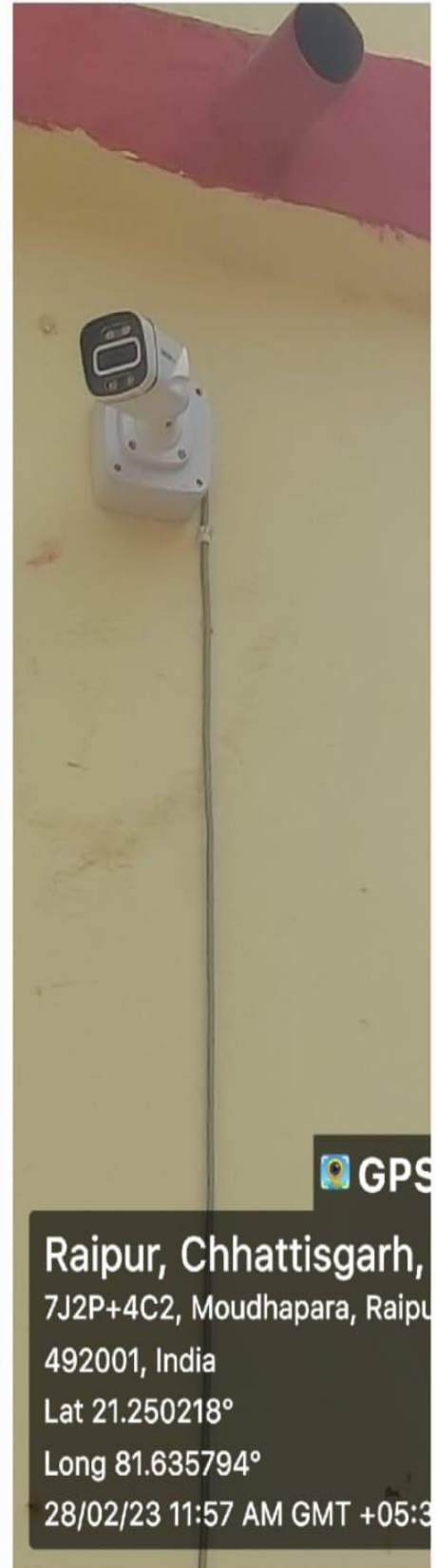


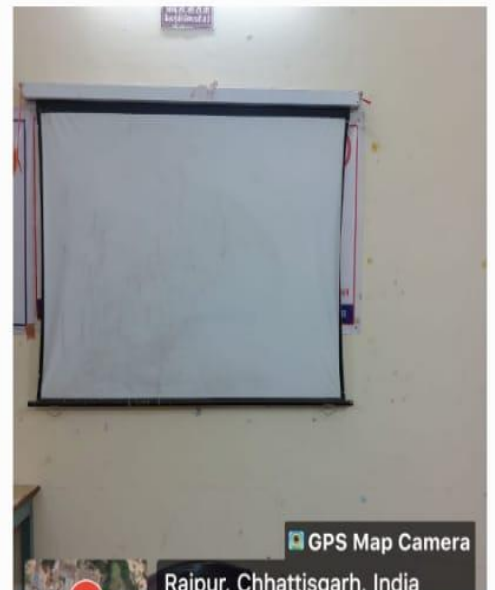
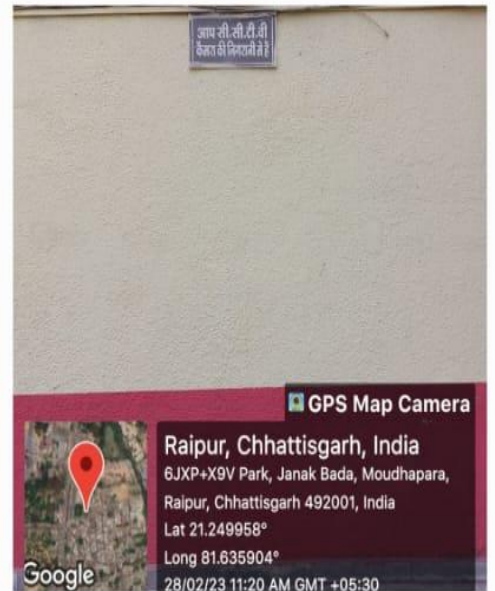
7.1.1

Institutional Values and Social responsibilities (Gender Equity)

Safety and Security







Counseling Committees



दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष-0771-2523753, फ़ैक्स . 2884300, वेबसाइट-www.durgacollege.in
ई-मेल principal@durgacollege.in, info@durgacollege.in, enquiry@durgacollege.in

5

क मांक -----

दिनांक-25/7/22

19. अनुशासन समिति (Discipline Committee)

— अध्यक्ष- डॉ. आर.के. तिवारी
संयोजक-डॉ. मधु कामरा
सदस्य-1.डॉ. बबीता पाठक

2. डॉ. अजय कुमार चन्द्राकर

3. डॉ. अर्चना गोमास्ता

4. डॉ. अमन झा

5. डॉ. योगिता लोनारे

6. प्रो. भूपेन्द्र दुबे

20. महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ-अध्यक्ष- डॉ. दीपाली शर्मा (Women's Grievance Redressal Cell)

संयोजक-डॉ. प्रगति दुबे
सदस्य-1. डॉ. सुस्मिता सेन

2. प्रो. रविन्द्र राजपूत

3. प्रो. सुनीता चंसोरिया

4. डॉ. योगिता लोनारे

5. डॉ. संजुक्ता मुखर्जी

21. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नियंत्रण समिति - अध्यक्ष- डॉ. अस्मा सईद (Students Attendance Control Committee)

संयोजक- प्रो. प्रतिभा खण्डेलवाल
सदस्य-1. डॉ. नमिता खोटेले

2. डॉ. इति बेनेर्जी

3. प्रो. सुखीप्रीत कौर

22. यू.जी.सी. प्रकोष्ठ-(U.G.C. Cell)

अध्यक्ष - डॉ. राकेश कुमार तिवारी
संयोजक - डॉ. मधु कामरा
सदस्य - डॉ. नारायणी श्रीवास्तव
डॉ. राजेश शुक्ला



दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष-0771-2523753, फ़ैक्स . 2884300, वेबसाइट-www.durgacollege.in
ई-मेल principal@durgacollege.in, info@durgacollege.in, enquiry@durgacollege.in

4

कमांक -----

दिनांक-25/7/22

14. अपलेखन समिति

(Committee for Right Off)

— अध्यक्ष-डॉ. विजय कुमार चौबे
संयोजक-प्रो. कविता भारती
विशेष आमंत्रित-श्री समिक भट्टाचार्य
अधिवक्ता -श्री राजकुमार शुक्ला
अधिवक्ता -श्री राजीव शर्मा
कार्यालय सदस्य-श्री विजय पटेल
कार्यालय सदस्य-श्री हरिश चन्द्र साहू

15. समंक संकलन एवं विश्लेषण समिति

(Data Collection and
Analysis Committee)

अध्यक्ष - डॉ. संजीवनी ठाकुर
संयोजक-डॉ. इति बेनर्जी
सदस्य - 1. प्रो. सुखप्रीत कौर
2. प्रो. गौरव जायसवाल
3. प्रो. प्राची शाहारे

16. शारीरिक शिक्षा समिति-

(Physical Education Committee)

अध्यक्ष - डॉ. सुभाष चन्द्राकर
संयोजक- प्रो. रविन्द्र राजपूत
सदस्य -1. डॉ. अमन झा
2. डॉ. जी.एस. पाण्डेय

17. शोध पत्रिका समिति

(Research Journal Committee)

अध्यक्ष - डॉ. नारायणी श्रीवास्तव
संयोजक -डॉ. अस्मा सईद
सदस्य 1. डॉ. नीलिमा शर्मा
2. प्रो. अंकिता वर्मा

18. एन्टी रेगिंग समिति

(Anti Ragging Committee)

अध्यक्ष- डॉ. बबीता पाठक
संयोजक- डॉ. रंजना शर्मा
सदस्य- 1. डॉ. रोशनी मिश्रा
2. डॉ. मोनिका पटेल





दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष-0771-2523753, फ़ैक्स . 2884300, वेबसाइट-www.durgacollege.in
ई-मेल principal@durgacollege.in, info@durgacollege.in, enquiry@durgacollege.in

(3)

क्रमांक -----

दिनांक-25/7/22

9. कय समिति

(Purchase Committee)

— अध्यक्ष-डॉ. दीपाली शर्मा - [Signature]

संयोजक-प्रो. रविन्द्र राजपूत - [Signature]

सदस्य- प्रो. इति बेनर्जी - [Signature]

10. आंतरिक मूल्यांकन समिति -

(Internal Assessment Committee)

— अध्यक्ष- डॉ. मधु कामरा - [Signature]

संयोजक-डॉ. रंजना शर्मा - [Signature]

सदस्य- 1. डॉ. जी.एस. पाण्डेय - [Signature]

2. डॉ. शकुन्तला दुल्हानी - [Signature]

3. डॉ. संजीव प्रमाणिक - [Signature]

11. शोध समिति

(Research Committee)

— अध्यक्ष- डॉ. राजेन्द्र कुमार शुक्ला - [Signature]

संयोजक-डॉ. संजीवनी ठाकुर - [Signature]

सदस्य- 1. डॉ. अर्चना गोमास्ता - [Signature]

2. प्रो. कविता भारती - [Signature]

3. डॉ. दिव्या शुक्ला - [Signature]

4. डॉ. लोकेश्वर सिन्हा - [Signature]



12. शिकायत निवारण समिति -

(Complaint Redressal Committee)

— अध्यक्ष-डॉ. राकेश कुमार तिवारी - [Signature]

संयोजक-डॉ. अमन झा - [Signature]

सदस्य- 1. डॉ. नमिता खोटेले - [Signature]

2. डॉ. संजुक्ता राय - [Signature]

3. डॉ. मोतीलाल साकार - [Signature]

13. सामाजिक दायित्व समिति -

(Social Responsibility Committee)

— अध्यक्ष- डॉ. बबीता पाठक - [Signature]

संयोजक- डॉ. पूर्णिमा शुक्ला - [Signature]

सदस्य 1. डॉ. जे.के. होता - [Signature]

2. प्रो. सुनीता चंसोरिया - [Signature]

3. प्रो. श्रिया शर्मा - [Signature]



दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष-0771-2523753, फॅक्स . 2884300, वेबसाइट-www.durgacollege.in
ई-मेल principal@durgacollege.in, info@durgacollege.in, enquiry@durgacollege.in

कमांक -

दिनांक- 21/9/21

महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ (Women's Grievance Redressal Cell)

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. डॉ. दीपाली शर्मा | — | अध्यक्ष - <i>Deepali</i> |
| 2. डॉ. प्रगति दुबे | — | संयोजक <i>Pragati</i> |
| 3. डॉ. सुस्मिता सेन | — | सदस्य <i>Su</i> |
| 4. प्रो. रविन्द्र राजपूत | — | सदस्य <i>Ravi</i> |
| 5. डॉ. अर्चना गोमास्ता | — | सदस्य <i>Aruna</i> |
| 6. प्रो. सुनीता चंसोरिया | — | सदस्य <i>Sunita</i> |
| 7. डॉ. योगिता लोनारे | — | सदस्य <i>Yogita</i> |
| 8. डॉ. संजुक्ता मुखर्जी | — | सदस्य <i>Sanjukta</i> |



प्रभारी प्राचार्य

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

✓ रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अंतर्गत रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

✓ रैगिंग में लिप्त होने पर दिया जाने वाला दण्ड

- (1) प्रवेश निरस्त किया जाना।
- (2) संस्था से निष्कासित किया जाना।
- (3) छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
- (4) परीक्षाओं से वंचित करना।
- (5) परीक्षा परिणाम रोकना।
- (6) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
- (7) पाँच साल तक कारावास की सजा या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों।

Women's Grievance Redressal Committee (WGRC)

Definition of Sexual Harassment:

"Sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as:

- physical contact and advances
- demand or request for sexual favours
- sexually coloured remarks
- showing any pornography, or
- any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature

Who can approach WGRC for help?

Any DMV female faculty, student or staff

What are the possible actions that can be taken against the respondent?

- Warning
- Written apology
- Bond of good behaviour
- Adverse remark in the Confidential Report
- Stopping of increments/promotion
- Suspension
- Dismissal
- Any other relevant mechanism

If you are harassed, what should you do?

You can personally meet the WGRC members or submit a written complaint (handwritten/ typed) duly signed.

You can meet the Chairperson or any other member directly.

Rest assured that your complaint will be kept CONFIDENTIAL.

Inquiry process:

- The inquiry shall be complete within a period of ninety days from the date of the complaint.
- On completion of the inquiry, the Committee shall provide a report of its findings to the employer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.
- If the allegations against the respondent has been proved, it shall recommend punitive actions to be taken against the respondent to the employer.
- The employer shall act upon the recommendation within sixty days of its receipt by him.

Important Reading Material:

- Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act and Rules, the 9th December, 2013

HELPLINE:

9479190167

Mahila Petrolling

महिला शिकायत निवारण समिति (डब्ल्यूजीआरसी)

यौन उत्पीड़न की परिभाषा :

"यौन उत्पीड़न" में शामिल है अनिष्ट यौन निर्धारित व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे :

- शारीरिक संपर्क और उससे आगे बढ़ना
- यौन सम्पर्क हेतु यौन या अशुभ
- यौन चित्र अप्रामाणिक
- अश्लील चित्र को दिखाना, या
- अन्य कोई अनिष्ट शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन प्रकृति का आवरण

डब्ल्यूजीआरसी से महाश्वरा की सौंप कौन-कौन कर सकता है ?

DMV की कोई भी महिला संरक्षक, छात्र अपना स्टाम्प

प्रतिवादी के विरुद्ध कौन-कौन सी संभव कार्रवाई की जा सकती है ?

- चेतावनी
- लिखित क्षमा
- अच्छे व्यवहार के लिए बांध
- गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिक्रिया दिखानी
- वेन्यू/दि/परोपनिधि को ठेकना
- निलंबन
- बर्खास्तगी
- अन्य कोई प्रशासनिक संभावना

अगर आपको परोपनिधि किया गया है तो, आप क्या करेंगे?

आप डब्ल्यूजीआरसी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या कॉल करके शिकायत दर्ज (हस्तलिखित/ टाइप और हस्ताक्षर किया हुआ) कर सकते हैं।

आप अध्यक्ष से या किसी अन्य सदस्य से सौंधे मिल सकते हैं।

निम्नलिखित रहे आपको शिकायत को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

शिकायत पर जाँच :

- शिकायत दर्ज होने की तिथि के नब्बे दिन के भीतर जाँच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
- जाँच प्रक्रिया पूरी कर लेने के उपरांत, समिति, जाँच प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की तिथि के दस दिन के भीतर मामले से संबंधित रिपोर्ट को नियोजित को सौंपेगी और सभी रिपोर्ट संबंधित पार्टियों को भी सौंपी जाएगी।
- यदि, प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप साबित हो जाते हैं तो, प्रतिवादी के विरुद्ध नियोजित द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु सिफारिश की जाएगी।
- नियोजित को उनके द्वारा दी गई पावती के साठ दिनों के भीतर सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होगी।

उपयोगी पढ़न सामग्री

महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं नियम 2013, नई दिल्ली, 09 दिसंबर, 2013

हेल्पलाइन

9479190167

COMPLAINT FORM

Name of the Staff/Student :

Employee/Student:

Mother's/Father's Name (Full Name):

Mail Id:

Mob:

Grievances faced:

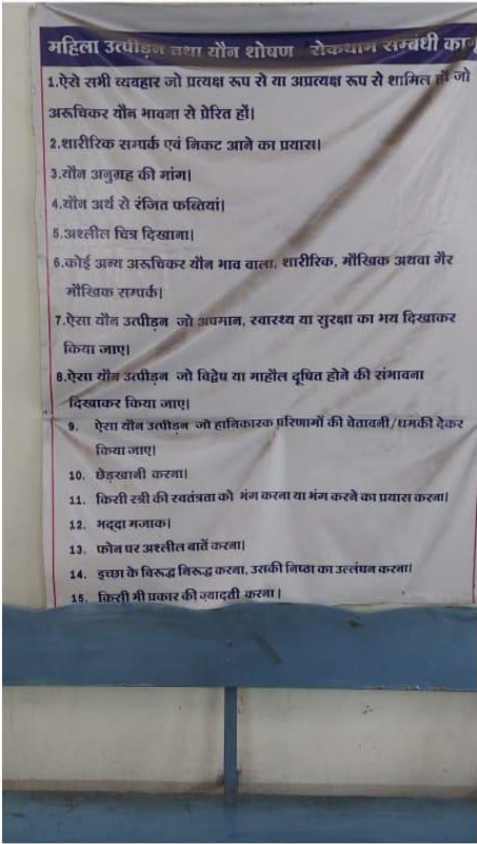
(Caste Discrimination[For SC/ST Students]/

Gender based violence & harassment/Other

Signature

Correspondence Address
Women's Grievance Redressal Committee (WGRC)
Durga Mahavidyalaya, Raipur, C.G.

Girls Common Room



Rules of Committee

दुर्गा महाविद्यालय महिला शिकायत निवारण समिति (डब्ल्यूजीआरसी)

यौन उत्पीड़न की परिभाषा :
"यौन उत्पीड़न" में शामिल है अनिष्ट यौन निर्धारण व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष या अन्य रूप से जैसे:

- शारीरिक संपर्क और दूसरे-आगे बढ़ना
- यौन सम्बंधन हेतु भाग या अनुरोध
- यौन रीति अभ्युक्ति
- अस्मिता चित्र को दिखाना
- अन्य कोई अनिष्ट शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन प्रकृति का आवरण

डब्ल्यूजीआरसी के दायित्वता की सीमा कौन-कौन तक संकुचित है ?
DMV को कोई भी महिला संकाय, छात्र अथवा स्टाफ

प्रतिवादी के विरुद्ध, कौन-कौन सी संभाव्य कार्रवाई की जा सकती है ?

- चेतावनी
- लिखित व्यवहार के लिए शासक
- अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड
- गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी
- वेतन/प्रोन्नति/प्रदर्शन को रोकना
- निलंबन
- बर्खास्तगी
- अन्य कोई प्रासंगिक कार्रवाई

जबकि आपका परेशान किया जाया है तो, आप क्या करेंगे ?

- आप डब्ल्यूजीआरसी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या काल वारक शिकायत दाय (हस्तगोपित/टाइप और हस्ताक्षर किया हुआ) कर सकते हैं
- आप अध्यक्षता से या किसी अन्य सदस्य से सीधे मिल सकते हैं।
- निश्चित रहे आपका शिकायत को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

शिकायत पर जाँच

- शिकायत दर्ज होने की तिथि के नब्बे दिन के भीतर जाँच प्रक्रिया पूरी कर जी जाएगी।
- जाँच प्रक्रिया पूरी कर लेने के उपरान्त, समिति जाँच प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की तिथि के दस के भीतर मामले से संबंधित रिपोर्ट को निष्का को सौंपेगी और यही रिपोर्ट संबंधित पार्टियों को भी सौंपी जाएगी।
- यदि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप साबित हो जाते हैं तो, प्रतिवादी के विरुद्ध निष्का द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु सिफारिश की जाएगी।
- निष्का को उनके द्वारा दी गई पावती के सात दिनों के भीतर सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होगी।

उपरोधी पत्रक सहायकी

- महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं 2013, नई दिल्ली, 09 दिसंबर 2013

हेल्पलाइन
महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ - 9479190167

DURGA MAHAVIDYALAYA Women's Grievance Redressal Committee (WGRC)

Definition of Sexual Harassment:
"Sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as:

- Physical contact and advances
- Sexually coloured remarks
- Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature
- Demand or request for sexual favours
- Showing any pornography, or

Who can approach WGRC for help?
Any DMV female faculty, student or staff

What are the possible actions that can be taken against the respondent?

- Warning
- Bond of good behaviour
- Stopping of increments/promotion
- Dismissal
- Written apology
- Adverse remark in the Confidential Report
- Suspension
- Any other relevant mechanism

If you are harassed, what should you do?

- You can personally meet the WGRC members or submit a written complaint (handwritten/ typed) duly signed.
- You can meet the Chairperson or any other member directly.
- Rest assured that your complaint will be kept CONFIDENTIAL.

Inquiry process:

- The inquiry shall be complete within a period of ninety days from the date of the complaint.
- On completion of the inquiry, the Committee shall provide a report of its findings to the employer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.
- If the allegations against the respondent has been proved, it shall recommend punitive actions to be taken against the respondent to the employer.
- The employer shall act upon the recommendation within sixty days of its receipt by him.

Important Reading Material:

- Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act and Rules, the 9th December, 2013

HELPLINE :
Women's Grievance Cell-9479190167

Parking for Girls



GPS Map Camera

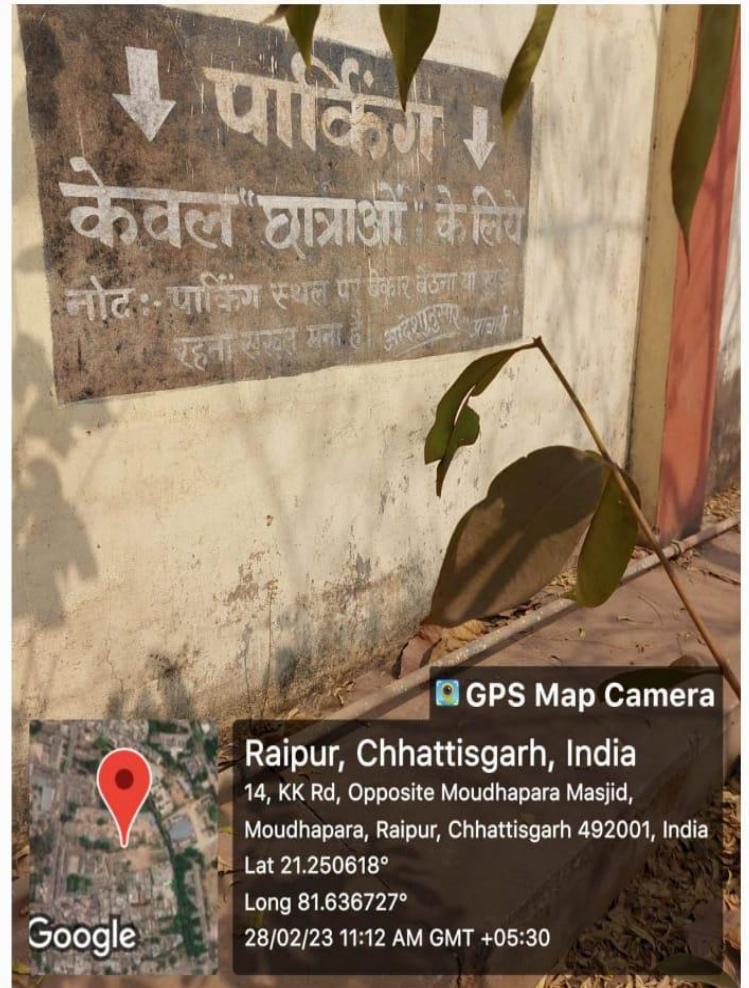
Raipur, Chhattisgarh, India

Opp.Telephone Exchange BSNL Office Fafadih Chh
7J2P+345, KK Rd, Janak Bada, Moudhapara, Raipur
Chhattisgarh 492001, India

Lat 21.250157°

Long 81.635354°

28/02/23 11:28 AM GMT +05:30



GPS Map Camera

Raipur, Chhattisgarh, India

14, KK Rd, Opposite Moudhapara Masjid,
Moudhapara, Raipur, Chhattisgarh 492001, India
Lat 21.250618°

Long 81.636727°

28/02/23 11:12 AM GMT +05:30



Activities conducted by Women's Grievances & Redressal Cell

Workshop on Women's Empowerment





 **GPS Map Camera**

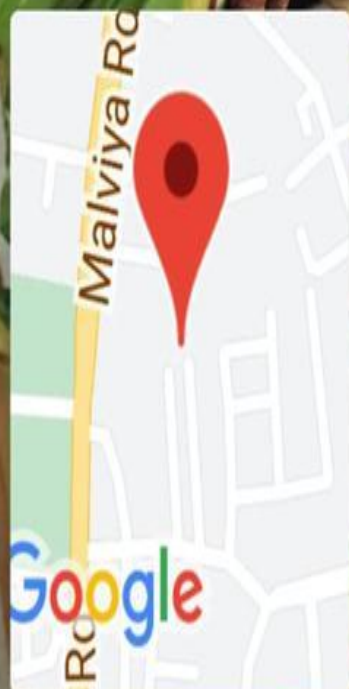
Raipur, Chhattisgarh, India

14, KK Rd, Opposite Moudhapara Masjid, Moudhapara,
Raipur, Chhattisgarh 492001, India

Lat 21.249972°

Long 81.636319°

22/09/22 01:11 PM GMT +05:30



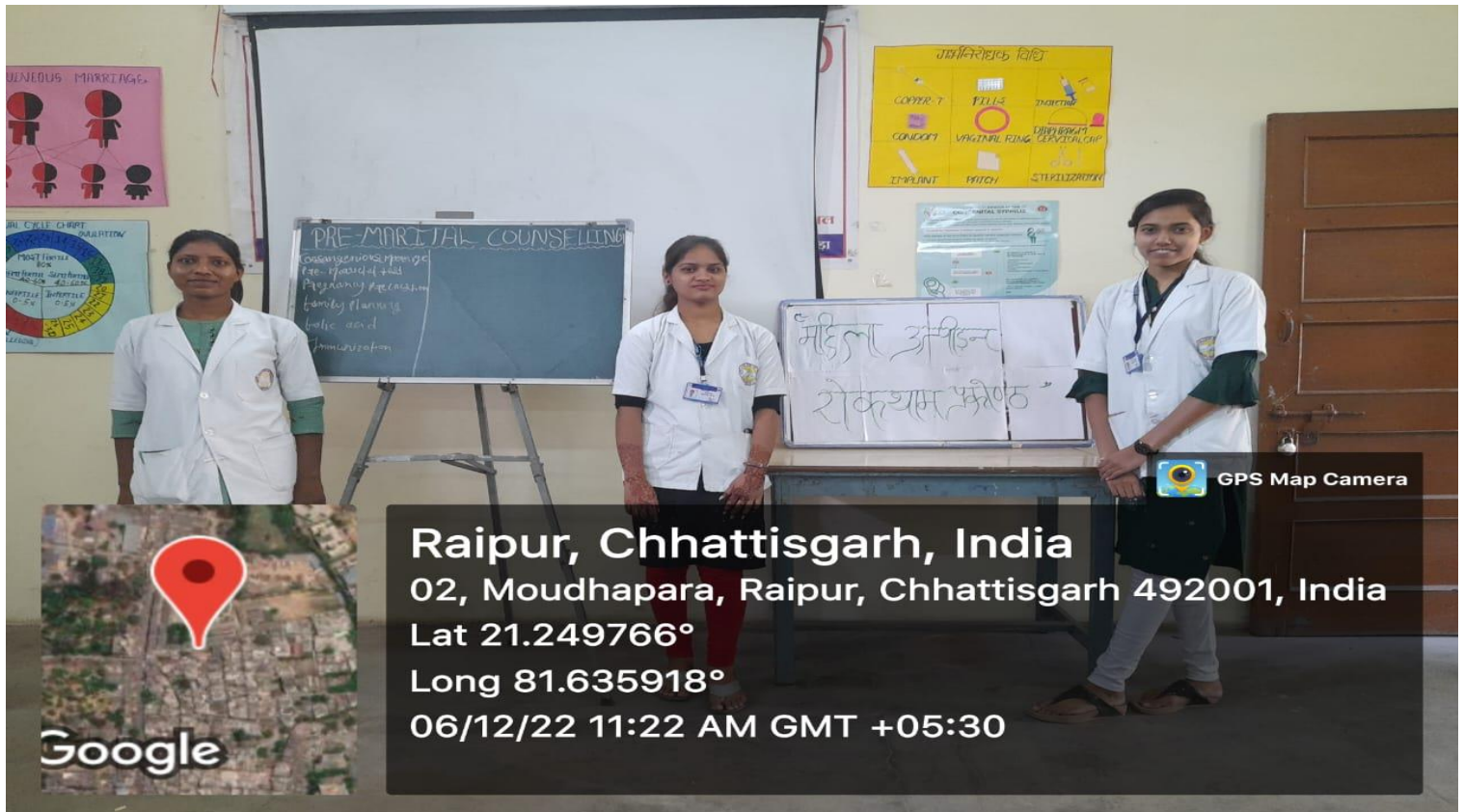
न्यूज डायरी

दुर्गा कॉलेज में महिला सशक्तीकरण पर कार्यशाला



रायपुर। दुर्गा महाविद्यालय में गुरुवार को महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव उपस्थित थीं। प्राचार्य डॉ. प्रतिभा मुखर्जी साहूकार ने कहा कि पद्मश्री फूलबासन बाई यादव महिला सशक्तीकरण का सशक्त हस्ताक्षर हमारे मंच पर उपस्थित हैं। प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. दीपाली शर्मा ने कहा कि आप सहज, सरल व्यक्तित्व की धनी हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुनीता चंसोरिया ने कहा कि आज दुर्गा महाविद्यालय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पद्मश्री फूलबासन बाई यादव हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने सुंदर गीत 'मन को मारे मत बैठो आगे आगे बढ़ना है, तो हिम्मत हार के मत बैठो..', गाया। साथ ही अपनी जीवन गाथा की जानकारी देते हुए महिला उत्पीड़न के बारे में विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, एनसीसी, एनएसएस एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ की सभी सदस्य डॉ. सुष्मिता मुखर्जी, डॉ. अर्चना गुमास्ता, डॉ. प्रगति दुबे, डॉ. योगिता लोनारे, डॉ. संजुक्ता मुखर्जी विशेष रूप से उपस्थित थीं।

Seminar on Pre - marital Counseling before marriage



महिला उत्पीड़न पर छात्राओं ने रखी बात

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। दुर्गा महाविद्यालय की महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ रोकथाम ने मंगलवार को शादी के पूर्व प्राथमिक परामर्श पर व्याख्यान का आयोजन किया। इस दौरान छात्राओं ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। शासकीय नर्सिंग कालेज की छात्राओं ने बताया कि विवाह पूर्व परामर्श एक चिकित्सा थेरेपी है। काउंसिलिंग के द्वारा जो व्यक्ति विशेष को विवाह के लिए तैयार करते हैं, साथ ही विवाह के पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण जांच के बारे में जानकारी देते हैं। एक स्वस्थ मजबूत व निरोग परिवार के निर्माण में मदद करती है।

इस परामर्श के अंतर्गत यौन स्वास्थ्य सजातीय विवाह फोलिक एसिड का महत्व, गर्भवती के दौरान रखने वाली



दुर्गा महाविद्यालय में आयोजित व्याख्यान में मौजूद अतिथि और छात्राएं। ● नईदुनिया

सावधानियां टीकाकरण आदि पर विस्तृत जानकारी इन छात्राओं द्वारा दी गई। मौके पर शासकीय नर्सिंग कालेज से खो मीन साहू, कविता पटेल, कंचन, कोमेश्वरी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रश्न भी किए, जिनका समाधान नर्सिंग कालेज

की छात्राओं ने किया। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष डाक्टर दीपाली शर्मा समेत रविंद्र राजपूत, डाक्टर प्रगति दुबे, सुनीता चंसोरिया, डाक्टर संजुक्ता मुखर्जी, डाक्टर शकुंतला, डाक्टर अर्चना गुमास्ता छात्रसंघ अध्यक्ष श्रुति राय समेत अन्य उपस्थित थीं।

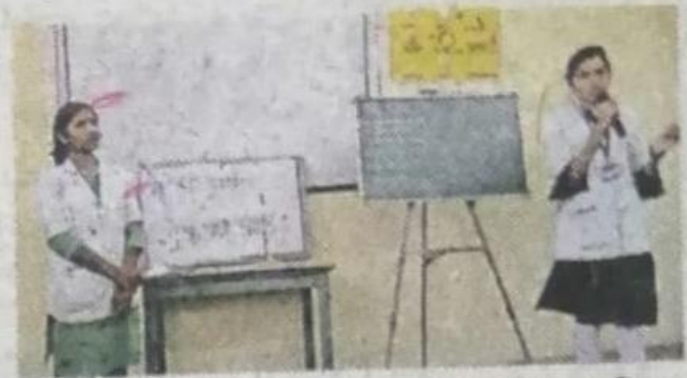
विवाह पूर्व काउंसलिंग से नई पीढ़ी में कई बीमारियों को रोकना संभव

शादी के पूर्व प्राथमिक परामर्श पर हुआ व्याख्यान एक्सपर्ट ने कहा

सिटी रिपोर्टर. रायपुर

दुर्गा महाविद्यालय के महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ की ओर से शादी के पूर्व प्राथमिक परामर्श पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि बारिश के पहले काउंसलिंग कराना एक मेडिकल थेरेपी है।

काउंसलिंग में व्यक्ति विशेष को शादी के लिए तैयार करते हैं। साथ ही बारिश के पहले होने वाली महत्वपूर्ण जांच के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि इससे विवाह के



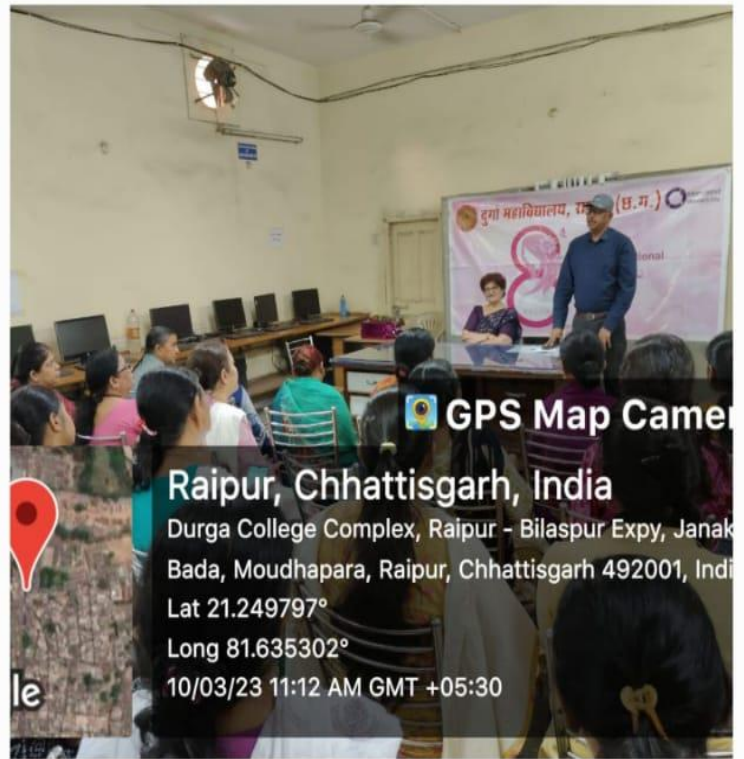
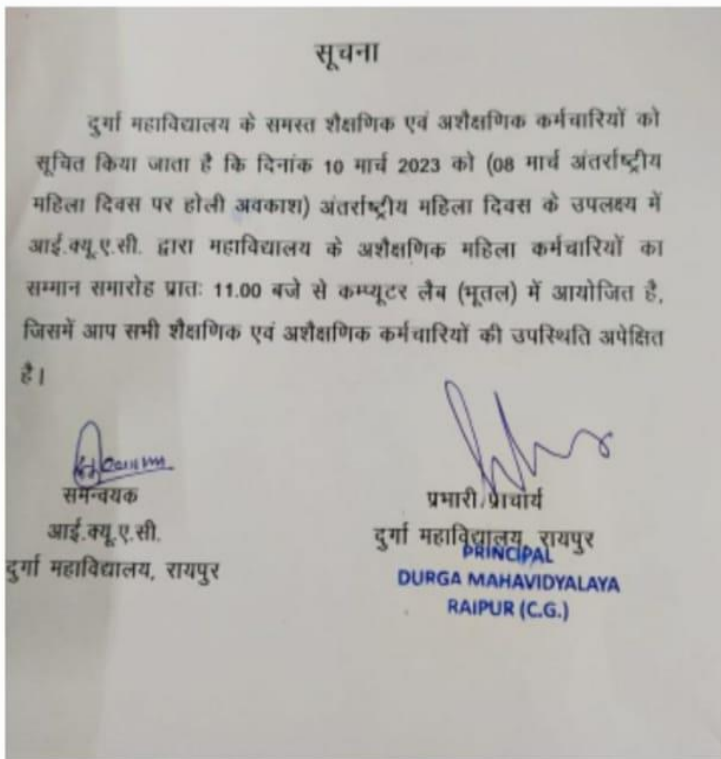
बाद पति-पत्नी को कोई परेशानी न आए। काउंसलिंग के जरिए बहुत सारी बीमारियों को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही अच्छी सेहत और निरोग फैमिली का निर्माण किया जा सकता है। इस वर्कशॉप में सजातीय विवाह और फोलिक एसिड का महत्व, प्रेगनेंसी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और टीकाकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कविता पटेल, कंचन, कोमेश्वरी, डॉ दीपाली शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।

Seminar on No fear I'm here





Celebrated International Women's Day





Seminar on Personality Grooming & Career Planning for Girl







Celebrated World AIDS Day







Raipur, Chhattisgarh, India

6JXP+X9V Park, Janak Bada, Moudhapara, Raipur, Chhattisgarh

492001, India

Lat 21.249922°

Long 81.635934°

01/12/22 11:05 AM



GPS Map Camera

Celebrated World Menstruation Day



दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) वर्ष 2022-23

दिनांक:-28 मई 2023 स्थान:- दुर्गा कॉलेज
कार्यक्रम:-विश्व महावारी स्वच्छता दिवस







Reference: Women's Grievances & Redressal Cell's help line number is already mentioned in Counseling Committees.

सामाजिक उन्नति में तृतीय लिंग समुदाय का भी योगदान



दुर्गा महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला के दौरान छात्रों को तृतीय लिंग से जुड़ी जानकारी देती प्राचार्य प्रतिभा मुखर्जी। उपस्थित अतिथि। ● समिति

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। दुर्गा महाविद्यालय में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता राज्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य रवीना बरिहा व मितवा संकल्प सेवा समिति की अध्यक्ष

विद्या राजपूत, दुर्गा कालेज की प्राचार्य डा. प्रतिभा मुखर्जी साहूकार, राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी सुनीता चंसोरिया मौजूद थीं। रवीना व विद्या ने बताया कि 3,000 वर्ष पूर्व के इतिहास को हम देखें तो किन्नरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

[illegible]

राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:-12 दिसम्बर 2022 स्थान:- दुर्गा कॉलेज
कार्यक्रम:- ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स एक्ट 2019 (अवेयरनेस
SENSITIZATION)



दुर्गा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जाना किन्नरों का इतिहास

अमन पथ न्यूज

रायपुर। मितवा संकल्प समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना दुर्गा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के साथ ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में रवीना बरिहा सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन एवं विद्या राजपूत अध्यक्ष मितवा संकल्प सेवा समिति कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ प्रतिभा मुखर्जी साहू कार ने की कार्यक्रम का संचालन एवं स्वागत उद्बोधन



राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी सुनीता चंसोरिया ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में किन्नरों का इतिहास यहां के छात्र ताम्रध्वज रहे आज रवीना बरिहा बताएंगी किन्नरों का इतिहास अंग्रेज शासन काल के पहले एवं बाद में क्या स्थिति बनी विद्या व रवीना दोनों किस तरह से शासन

प्रशासन से अपने समाज के लिए अपनी बात रख कर आज इस स्थिति में पहुंची हैं दुर्गा महाविद्यालय अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज रवीना हमारे बीच में आई है मुख्य वक्ता के रूप में रवीना ने बताया कि वह इस कॉलेज के विद्यार्थी रही हैं और वह जब इस

कॉलेज में पढ़ती थी तब उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था लेकिन स्कूली जीवन में उन्हें काफी अपमान सहना पड़ा है एवं उनके साथ कोई खेलता नहीं था आपने बताया कि 3000 वर्ष पूर्व के इतिहास को हम देखें तो किन्नरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था रामायण, महाभारत, मुगल शासन, क्रिश्चियन समुदाय, बौद्ध समुदाय में भी सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों के काल में 1871 अपराधिक जनजाति अधिनियम के कारण ट्रांसजेंडर की स्थिति खराब हुई है हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा में 3 जेंडर का उल्लेख है।

Workshop on Gender, Masculinity & Relationships

राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:- 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2022 (3 DAYS)

स्थान:-

दुर्गा कॉलेज

कार्यक्रम:- WORKSHOP ON GENDER, MASCULINITY AND
RELATION



राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:- 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2022 (3 DAYS)

स्थान:-

दुर्गा कॉलेज

कार्यक्रम:- WORKSHOP ON GENDER, MASCULINITY AND
RELATION



राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:- 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2022 (3 DAYS)

स्थान:-

दुर्गा कॉलेज

कार्यक्रम:- WORKSHOP ON GENDER, MASCULINITY AND
RELATION



Awards of Women Empowerment and different aspects



दुर्गा महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)



राष्ट्रीय सेवा योजना
वर्ष 2022-23

दिनांक:-29 सितम्बर 2022 स्थान:- वृन्दावन हॉल
कार्यक्रम:-नारी शक्ति सृजन सम्मान समारोह



NATIONAL SERVICE SCHEME

AWARDS SESSION 2022-2023

हौसले की उड़ान....

मातृशक्ति सम्मान

जीवन की चुनौतियों और बाधाओं को पार करके अपने सहस्र और हौसले से असाधारण कार्य और उपलब्धियों से लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणाप्रसूत बनी "मातृशक्ति का सम्मान" महिला दिवस के अवसर पर कृति फाईन आर्ट्स एवं वेल्फेयर सोसाईटी द्वारा किया जा रहा है। मातृशक्ति की प्रेरक वाक्या और कार्य का उल्लेख "हौसले की उड़ान - मातृशक्ति सम्मान" कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित है।

मुख्य अतिथि श्रीमती अनिला मेडिया जी
महिला एवं बाल विकास मंत्री
उत्तरप्रदेश शासन

मान, सुनील सोनी जी
संलग्न-सामुदायिक सौलभकार, उत्तरप्रदेश शासन

अध्यक्षता डॉ. जयता रायहू
राष्ट्रीय महिला अकादमी
अ.भा.स. लखनऊ

विशिष्ट अतिथि सुश्री सविता बहन जी उत्तरप्रदेश इन्फ्रामुक्तिक
श्रीमती डॉ. संख्या कर्मा एन.ओ.सी. ११, लखनऊ महिला समाज कार्यपालन
श्रीमती शताब्दी पाण्डेय पूर्व अध्यक्ष-लखनऊ महिला समाज कार्यपालन
सीनेस सोनगली ओरतवान किटुनस प्रेसिडेंट और वीरस लोकेस लखनऊ
श्रीमती शिवका कौशल अध्यक्ष लखनऊ - भारत एकदिवस

कार्यक्रम

दिनांक : 11 मार्च 2023, रविवार
समय : प्रातः 11:30 बजे
स्थान : वृंदावन हॉल, रिजिल लाईस, रायपुर

:- विनीत :-
लीनेस जानकी गुप्ता
कृति फाईन आर्ट्स एण्ड वेल्फेयर सोसाईटी



11 मार्च 2023
मातृशक्ति सम्मान

NATIONAL SERVICE SCHEME

AWARDS

SESSION 2022-2023



2 मार्च 2023

चेम्बर ऑफ कॉमर्स (महिला सम्मान समारोह)



दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)



राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:-6 मार्च 2023 स्थान:-भाटागांव
कार्यक्रम:- HAPPY WOMEN'S DAY





दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)



राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:-2 मार्च 2023 स्थान:-लॉ डिपार्टमेंट PT. R. S.U.
कार्यक्रम:- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस





दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)



राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2022-23

दिनांक:-26 फरवरी 2023 स्थान:- गणेशाय हॉस्पिटल पचपेड़ीनाका
कार्यक्रम:- छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान

'SGVF honoured 30 strong women with Ch'garh Mahtari Samman'

Raipur, Feb 26:

Pandit Jawaharlal Nehru once said, "to make people aware, it is necessary for the women to be aware".

Once a woman takes an initial step, a family, a village and a nation move towards the development. The condition of a state and a country will undoubtedly rise where the women are physically, mentally and socially strong. Keeping this statement in mind, Shri Ganesh Vinayak Foundation (SGVF) conferred Chhatishgarh Mahtari Samman in 30 fearless and influential women on the occasion of International Women's Day.

Shri Ganesh Vinayak Foundation organized Chhatishgarh Mahtari Samman 2023 for the women who have been actively working in various fields for a long time to



bring positive changes in the society. The women were appreciated and honored by the chief guest, Shashibhai Pandey, former chairman of Chhatishgarh Mahtari Samman, Dr. Anil Gupta, President of SGVF, and Dr. Sema Srivastava, Secretary of SGVF. The performance was graced by the children of Ropivani with a mesmerizing dance on Chhatishgarh folk song, "Hanshi Sahu, Varnika Sharma, Animesh Mir, Anjali, Nadi Pandey, Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital and Dr.

Patel, Sudeshna Mahan, Dr. Smriti Singh and Dr. Sema Srivastava were honored. The stage was well coordinated by well-known literature and musician, Dr. Sema Srivastava.

Dr. Anil Gupta, President of SGVF said, "It is heartening to see small drops filling up the pot". While fulfilling our social responsibilities, we have made an effort to have those women whose efforts are bringing change in the society today. Women empowerment is when women perform their responsibilities at their home as well as in the outside world with excellence. Dr. Charudatt Kalankar said, "We are thankful to these women who are inspiring the will of Chhatishgarh in their own way and this is just an encouragement so that more women come forward and do such outstanding work."

TheHitavada

Raipur City Line | 2023-02-27 | Page 4
ehitavada.com

Thirty strong women honoured with Mahtari Samman

By Staff Reporter
RAIPUR, Feb 26:

INTERNET-based reference said, "To make people aware, it is necessary for the women to be aware".

Once a woman takes an initial step, a family, a village and a nation move towards the development. The condition of a state and a country will undoubtedly rise where the women are physically, mentally and socially strong.

Keeping this statement in mind, Shri Ganesh Vinayak Foundation conferred Chhatishgarh Mahtari Samman in 30 fearless and influential women on the occasion of International Women's Day. Shri Ganesh Vinayak Foundation organized Chhatishgarh Mahtari Samman 2023 for the women who have been actively working in various fields for a long time to bring positive changes in the society. The women were appreciated and honored by the chief guest Shashibhai Pandey, former chairman of Shri Ganesh Vinayak



Thirty strong women honoured with Chhatishgarh Mahtari Samman by Shri Ganesh Vinayak Foundation posing for a group photo.

honoured poet and headman of Chhatishgarh, Mir Ali Mir, President of Shri Ganesh Vinayak Foundation and Director Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital, Raipur, Dr. Sema Srivastava, Secretary of Shri Ganesh Vinayak Foundation, Dr. Charudatt Kalankar, former chairperson of Shri Ganesh Vinayak

with a mesmerizing dance on Chhatishgarh folk song. Hanshi Sahu, Varnika Sharma, Animesh Mir, Anjali, Nadi Pandey, Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital, Raipur, Dr. Sema Srivastava, Secretary of Shri Ganesh Vinayak Foundation, Dr. Charudatt Kalankar, former chairperson of Shri Ganesh Vinayak

Shashibhai Pandey, former chairman of Chhatishgarh Mahtari Samman, Dr. Anil Gupta, President of SGVF, and Dr. Sema Srivastava, Secretary of SGVF. The performance was graced by the children of Ropivani with a mesmerizing dance on Chhatishgarh folk song.

Dr. Charudatt Kalankar said, "We are thankful to these women who are inspiring the will of Chhatishgarh in their own way and this is just an encouragement so that more women come forward and do such outstanding work."

Powered by thedocuments

30 सशक्त महिलाओं का श्री गणेश विनायक फाउंडेशन ने किया छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान

अमरा पाठ न्यूज



छत्तीसगढ़। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध वाक्य है, "तभी लोग जागृत होते हैं, जब महिलाएं जागृत होंगी।" यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि महिलाओं का विकास ही देश के विकास का आधार है। श्री गणेश विनायक फाउंडेशन ने 30 सशक्त और प्रभावशाली महिलाओं का छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान प्रदान किया।

सम्मान प्रदान का रस। श्री गणेश विनायक फाउंडेशन ने 30 सशक्त और प्रभावशाली महिलाओं का छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान प्रदान किया।

श्री गणेश विनायक फाउंडेशन ने 30 सशक्त और प्रभावशाली महिलाओं का छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान प्रदान किया।

श्री गणेश विनायक फाउंडेशन ने 30 सशक्त और प्रभावशाली महिलाओं का छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान प्रदान किया।

30 सशक्त महिलाओं का किया सम्मान

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। श्री गणेश विनायक फाउंडेशन के नेतृत्व में 30 महिलाओं को छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्य अतिथि बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शालिनी पांडेय, विशिष्ट अतिथि नविनी शर्मा, श्री गणेश विनायक फाउंडेशन के अध्यक्ष डा. अनिल गुप्ता, सचिव डा. चक्रवर्त

कलामकर ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलचाली के मुख्यधारा वक्ता ने नृप नंद प्रस्तुति दी। सम्मानित होने वाली महिलाओं में हर्षा साहू, चर्चिता शर्मा, अमिता मौर अनी, उर्मिला नाव पानिकर, मनीषा अग्रवाल, शिल्पी गोयल, सुमोधि आर्य, सुनीता चंसोरिया, अमरीता उपाध्याय, मधु यादव, पद्म शर्मा, विद्या राजपूत,

डा. मीरवी वैष्णव, पल्लवी पांडेय, सरोज पांडेय, चंद्रकांता ओसवाल, नम्रता पुरसकर, परम चंडोकर, रमणी वैद्य, सुमति सिंह, लक्ष्मी कुमारी, सरिता त्रिवे, प्रियंका अग्रवाल गुप्ता, रानी डाकुर, किष्का त्रिवे, रचना निखा, अमृता अग्रवाल, विष्णु पटेल, सुवेनना खान, डा. संस्कृति सिंह, डा. सीमा श्रीवास्तव शामिल हैं।



गणेश विनायक फाउंडेशन की ओर से सम्मानित की गई 30 सशक्त महिलाएं। © नईदुनिया



PRINCIPAL
DURGA MAHAVIDYALAYA
RAIPUR (C.G.)